Part–1 (A)

<u>न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)</u>
पीठासीन अधिकारी – पिंकी मीना, आर.जे.एस.

निर्णय दिनांक – 19.03.2026
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 450/2019
सीआईएस नंबरः– 450/2019
सीएनआर संख्या – **RJCH020006792019**
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 10/2019 पुलिस थाना सदर, चूरू)
अपराध अंतर्गत धाराः– 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता व 134/187 एम.वी. एक्ट

Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, चूरू
ACCUSED	1. प्रेम कुमार उर्फ सुभाष पुत्र रामस्वरूप उम्र 35 साल निवासी सात्यु पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू
REPRESENTED BY	1. श्री असीम खान विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त

<u>B</u>

Date of Offence	02.02.2019
Date of FIR	02.02.2019
Date of Chargesheet	23.04.2019
Date of Cognizance	23.04.2019
Date of Framing of Charges	23.04.2019
Date of commencement of evidence	08.08.2023
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	12.03.2026
Argument Heard On	19.03.2026
Date of the Judgement	19.03.2026

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	रायसाहेब	परिवादी
PW. 2	सुंदर कुमार	नक्शा मौका बाबत
PW. 3	ओमप्रकाश	चक्षुदर्शी साक्षी
PW. 4	भादर सिंह	घटना बाबत
PW. 5	मनोज कुमार	वाहन स्वामी
PW. 6	डॉ. सुधांशु सहारण	चिकित्सकीय साक्षी
PW. 7	मोहम्मद इदरीश	मैकेनिकल रिपोर्ट बाबत
PW. 8	अनूप सिंह	अनुसंधान अधिकारी

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	प्रदर्श पी–1	पर्चा बयान
2.	प्रदर्श पी–2 व 2ए	नक्शा मौका व हालात मौका

3.	प्रदर्श पी–3	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र
4.	प्रदर्श पी–4	परिवादी द्वारा एक्सरे नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द सूरते लाश मृतक भूप सिंह
6.	प्रदर्श पी–6	लाश सुपुर्दगी मृतक भूप सिंह
7.	प्रदर्श पी–7	बयान धारा 161 द.प्र.सं. परिवादी रायसाहेब
8.	प्रदर्श पी–8	फर्द मुलाहिजा अल्टो कार नं. एचआर 20 क्यू 9551
9.	प्रदर्श पी–9	बयान धारा 161 द.प्र.सं. गवाह सुंदर लाल
10.	प्रदर्श पी–10	फर्द सूरते लाश मृतक किशन कुमार उर्फ कुष्ण
11.	प्रदर्श पी–11	बयान धारा 161 द.प्र.सं. गवाह ओमप्रकाश
12.	प्रदर्श पी–12	बयान धारा 161 द.प्र.सं. गवाह भादर सिंह
13.	प्रदर्श पी–13	133 एमवी एक्ट नोटिस
14.	प्रदर्श पी–14	पीएमआर रिपोर्ट मृतक कृष्ण उर्फ किशन कुमार
15.	प्रदर्श पी–15	पीएमआर रिपोर्ट मृतक भूप सिंह
16.	प्रदर्श पी–16 व 17	एमटीओ रिपोर्ट
17.	प्रदर्श पी–18	चाक एफआईआर
18.	प्रदर्श पी–19	लाश सुपुर्दगी मृतक किशन कुमार उर्फ कृष्ण
19.	प्रदर्श पी–20	फर्द जब्ती ट्रक नंबर एचआर 65 ए 3344
20.	प्रदर्श पी–21	फर्द जब्ती कागजात ट्रक नं. एचआर 65 ए 3344
21.	प्रदर्श पी–22	134 एमवी एक्ट नोटिस

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

– <u>निर्णय</u> – **<u>दिनांक – 19.03.2026</u>**

AUTHENTICATED DOCUMENTS

1. हस्तगत उनवानी प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना सदर द्वारा यह आरोप पत्र अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ सुभाष के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट के तहत हाजा न्यायालय के समक्ष पेश करने से हुआ। प्रकरण का बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रायसाहेब ने दिनांक 02.02.2019 को डीबीएच चूरू में पर्चा बयान इस आशय का पेश किया कि आज सुबह मैं व मेरे पिताजी तथा मामा का बेटा भाई कृष्ण कुमार हम तीनों हमारे घर से धाम मुकाम जा रहे थे। सुबह वक्त साढ़े आठ बजे हम ढाढर गांव के टोल नाका से चूरू की तरफ थोड़ा ही निकले थे इतने में सामने से एक ट्रक नं. एच.आर. 65ए 3344 अचानक तेज गति एवं लापरवाही से चलाता हुआ आया। मैंने मेरी कार नं. एच.आर. 20 क्यू 9551 को बचाने की कोशिश की, परन्तु ट्रक चालक ने हमारी कार के टक्कर मारी जिसके कारण कार में सवार मेरे पिताजी भूप सिंह व मेरे भाई कृष्ण कुमार के गम्भीर चोटें लगने की वजह से मौका पर मृत्यु हो गई व मेरे सिर व नाक पर चोट आई। मौका पर गाड़ी के टक्कर होते ही आवाज देने पर पास में खड़े होटल वाले आ गये जिन्होंने हमारी मदद की व टोल वाले दूसरी एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया.....इत्यादि। उक्त पर्चा बयान पर मुकदमा नंबर 10/2019 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद विस्तृत एवं आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 304ए भा.द.सं. व 134/187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

3. आरोप पत्र पर विचार किए जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त को धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोप से इंकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह परीक्षित करवाये गये एवं उपरोक्तानुसार दस्तावेजात प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 22 प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा स्वयं के निर्दोष होने, झूठा फंसाये जाने व स्वयं द्वारा कोई घटना कारित नहीं

AUTHENTICATED DOCUMENTS

किए जाने के कथन किए हैं तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं किया जाना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभियोजन द्वारा अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क पेश किया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त वाहन को निश्चित दिशा में चला रहा था। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है, उससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली व सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

(क) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.02.2019 को समय करीब 08.00–08.30 ए.एम. मौजा ढाढर गांव के टोल प्लाजा से चूरू की तरफ निकलते ही लोकमार्ग पर ट्रक नं. एचआर 65 ए 3344 का चालक होते हुए उक्त वाहन को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर परिवादी की कार नं. एचआर 20 क्यू 9551 के टक्कर मारी, जिससे कार में बैठे परिवादी रायसाहेब के साधारण उपहतियां व परिवादी के पिता भूप सिंह व परिवादी के भाई कृष्ण कुमार की गंभीर चोटें लगने से मौके पर ही मानव वध की कोटि में न आने वाली मृत्यु कारित करते हुए मौके से ट्रक को लेकर फरार हो गया ?

(ख) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है?

10. अभियोजन पक्ष की ओर से आई साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में परिवादी रायसाहेब पी.डब्ल्यू–1 ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि लगभग साढ़े चार साल पहले सुबह के समय वह अपने पिता भूपसिंह व मामा का लड़का कृष्ण कुमार तीनों घर से मुकाम धाम जा रहे थे। सुबह लगभग आठ साढ़े आठ बजे वे ढाढर गांव से चूरू की तरफ थोड़ा ही निकले थे कि सामने से एक ट्रक लापरवाहीपूर्वक आया व उनकी कार के टक्कर मार दी, जिस कारण कार में बैठे उसके भाई व पिता के गंभीर चोटें लगी व दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो

AUTHENTICATED DOCUMENTS

गई। टक्कर होने की आवाज सुनकर पास के होटल के व्यक्ति भागकर आये व उनकी मदद की तथा एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मौके पर कई लोग आ गये थे। कौन आये उसे नाम नहीं पता। ट्रक के नंबर तथा चालक का नाम उसे नहीं पता। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही कहा कि घटना की रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस सुझाव को गलत कहा कि रिपोर्ट उसकी कल्मी हो। रिपोर्ट उसने किससे लिखवाई थी, याद नहीं है। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग उसके द्वारा नहीं लिखवाया गया। इस सुझाव को गलत कहा कि रिपोर्ट पर उसने हस्ताक्षर पढकर नहीं किये हों। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जो कहां करवाए थे उसे याद नहीं है। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना भी हुआ था, जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपनी चोटों का एक्सरे नहीं करवाने बाबत् आवेदन किया था जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पिता की लाश का पंचनामा हुआ था जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पुलिस में बयान हुए या नहीं उसे याद नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग उसके द्वारा नहीं लिखवाया गया, सी से डी भाग उसके द्वारा लिखाया गया है, ई से एफ भाग उसके द्वारा नहीं लिखवाया गया। पुलिस ने क्यों लिखा उसे नहीं पता। फर्द मुलायजा अल्टो कार प्रदर्श पी–8 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस सुझाव को सही कहा कि उसका आरोपी प्रेम कुमार से राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही कहा कि दुर्घटना होने के बाद वह बेहोश हो गया था इसलिए उसने ट्रक के नंबर व चालक को नहीं देखा। वह हाजिर अदालत मुलजिम को नहीं जानता, यह मौके पर नहीं था।

11. गवाह पी.डब्ल्यू.–2 सुंदर कुमार, जो नक्शा मौका साक्षी है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि लगभग साढ़े चार साल पहले सुबह के समय वह व ओमप्रकाश गाड़ी से से मुकाम धाम जा रहे थे। उनके आगे दूसरी गाड़ी में उसके पिता कृष्ण कुमार, भूपसिंह व उनके लड़के रायसाहब जा रहे थे। जब वह ढाढर गांव के टोल नाका से चूरू की तरफ थोड़ा आगे पहुंचा तो उसके पिता की गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। उसके पिता कृष्ण कुमार व भूपसिंह के गंभीर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वह दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर तथा चालक को नहीं जानता।

AUTHENTICATED DOCUMENTS

अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–2 का ए से बी भाग उसके द्वारा नहीं लिखाया गया, सी से डी भाग उसके द्वारा लिखाया गया था, ई से एफ भाग उसके द्वारा नहीं लिखाया गया। उसके पिता की लाश का पंचनामा हुआ था जो प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका सही बनाया गया है लेकिन उसने हस्ताक्षर कहां किये उसको याद नहीं। इस सुझाव को सही कहा कि उनका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

12. गवाह पी.डब्ल्यू–3 ओमप्रकाश, जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि लगभग साढ़े चार साल पहले सुबह के समय वह व सुंदरलाल गाड़ी से मुकाम धाम जा रहे थे। उनके आगे दूसरी गाड़ी में कृष्ण कुमार, भूपसिंह व इनके लड़के रायसाहब जा रहे थे। जब वह ढाढर गांव के टोल नाका से चूरू की तरफ थोड़ा आगे पहुंचा तो आगे वाली गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें कृष्ण कुमार व भूपसिंह के गंभीर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मृत्यू हो गई थी। वह दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचा था। वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर तथा चालक को नहीं जानता। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग उसके द्वारा नहीं लिखाया गया।

13. गवाह पी.डब्ल्यू–4 भादर सिंह ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि 2 फरवरी की बात है। वह अपनी दुकान पर बैठा था। उन्हें तो शोर सुना था। देखा कि ट्रक और कार भिड़ गए थे। उसने ट्रक और कार के नंबर नहीं देखे। दुर्घटना में तीन व्यक्तियों के चोट आई थी, जिनके वह नाम नहीं जानता। दुर्घटना में लापरवाही किसकी थी, उसे नहीं पता। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–12 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखवाया। इस सुझाव को गलत कहा कि वहां पर उपस्थित लोगों ने नाम पूछा था, नाम प्रेम सिंह बताया। वह गाड़ी में सवार लोगों को जिनके चोट लगी, वह नहीं जानता। उसने वाहन को दुर्घटना के समय नहीं देखा। वह दुर्घटना के बाद वहां पहुंचा था। उसे नहीं पता दुर्घटना किसकी लापरवाही थी।

AUTHENTICATED DOCUMENTS

14. गवाह पी.डब्ल्यू–5 मनोज कुमार, जो वाहन स्वामी है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि वर्ष 2019 में उसके पास एक कंटेनर नं. एचआर 65 ए 3344 था, जिसको उसने कंपनी में लगा रखा था। इस पर चालक कौन था, पता नहीं। उसने पुलिस को चालक का नाम बताया था और ना ही न्यायालय में चालक का नाम बताया था। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही कहा कि नोटिस प्रदर्श पी–13 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी लिखावट उसकी नहीं है। इस सुझाव को सही कहा कि कोर्ट से उसने कंटेनर को सुपुर्दगी पर लिया था। इस सुझाव को गलत कहा कि कंटेनर को सुपुर्दगी पर लिया उस समय चालक प्रेम कुमार का ड्राइविंग लाइसैंस न्यायालय में पेश किया हो।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–6 डॉ. सुधांशु सहारण, जो चिकित्सकीय साक्षी है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि वह दिनांक 02.02.19 को राजकीय डीबीएच अस्पताल चूरू में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर नियुक्त था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब रायसाहेब पुत्र भूपसिंह के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। दोनों चोटें कुंदाला हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी। चोट संख्या 1 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की राय दी गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन उसने मृतक कृष्ण कुमार उर्फ किशन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी राय के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट से शौक व हेमरेज के कारण होना पाई गई। उसी दिन उसने मृतक भूपसिंह पुत्र पतराम के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी राय के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोट से शौक व हेमरेज के कारण होना पाई गई। **दौराने जिरह** गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 3, 14, 15 में एफआइआर नंबर अंकित नहीं है। पंचनामा व तहरीर प्राप्त होने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम व तहरीर प्राप्त होने पर ही चोटों का परीक्षण किया गया था। प्रदर्श पी 3, 14, 15 उसकी कलमी है। पोस्टमार्टम के दौरान शव की मृत्यु 12 घंटे के भीतर होना पाया गया। इस सुझाव को गलत कहा कि समय पर इलाज मिला तो मृत्यु ना हो।

16. गवाह पीडब्ल्यू–7 मोहम्मद इदरीश, जो मैकेनिकल मुआयना का गवाह है, ने दौराने मुख्य परीक्षण कथन किया कि वह दिनांक 03.02.2019 को पुलिस लाइन चूरू में

AUTHENTICATED DOCUMENTS

एमटीओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज उसने अनुसंधान अधिकारी की तहरीर प्राप्त होने पर उसने मुकदमा नंबर 10/19 में जब्तशुदा कार नंबर एचआर 20 क्यू 9551 का दुर्घटनास्थल पर मैकेनिकल मुआयना किया था। जिसकी मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन उक्त मुकदमें में थाना सदर चूरू पहुंचकर थाने में खड़े ट्रक नंबर एचआर 66ए 3344 का मैकेनिकल मुआयना किया था। जिसकी मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी रिपोर्ट हैं। **दौराने जिरह** गवाह ने इस सुझाव को सही कहा कि चलती हुई कार के आगे कोई पशु मवेशी आने पर अचानक ब्रेक लगाने पर कार अंसतुलित होकर गाडी उक्त तरीके से प्रदर्श पी–16 में दर्शाये गये क्षतिग्रस्त हो सकती है।

17. गवाह पीडब्ल्यू–8 अनूप सिंह, जो घटना का अनुसंधान अधिकारी है, ने दौराने मुख्य परीक्षण मुकदमा नंबर 10/19 के दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाये जाने, प्रेमकुमार को धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस दिये जाने, मजरूब का चोट प्रतिवेदन व मृतक भूपसिंह व कृष्ण कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए जाने व बाद अनुसंधान मुलजिम प्रेमकुमार उर्फ सुभाष के खिलाफ अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए आईपीसी व 134/187 एमवीएक्ट में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने की साक्ष्य दी है। **दौराने जिरह** गवाह ने इस सुझाव को सही कहा कि प्रदर्श पी–1 में चालक का नाम अंकन नहीं है। इस सुझाव को गलत कहा कि प्रदर्श पी–22 पर उसने मुलजिम को डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। इस सुझाव को गलत कहा कि प्रदर्श पी–22 में ई से एफ लिखावट प्रेमकुमार की ना होकर उसके कर्मचारी की हो। इस सुझाव को गलत कहा कि प्रदर्श पी–13 पर हस्ताक्षर उसने मनोज कुमार को डरा धमका कर करवाये हो। इस सुझाव को सही कहा कि प्रदर्श पी–2 व 2 ए की कार्यवाही के दौरान ट्रक व गाड़ी घटनास्थल पर नहीं थी।

18. सुना गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटरवाहन से एक्सीडेंट के प्रकरणों में अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम अभियुक्त की पहचान सन्देह से परे साबित करनी होती है। उसके पश्चात ही न्यायालय यह देखेगा कि चालक द्वारा वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत–"**संग्राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** (1990)(1) RLW Raj. 97" में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त पारित किया है कि–"For conviction in Case of Motor Vehicle accident it is

AUTHENTICATED DOCUMENTS

essential to prove that at the time of accident the accused was driving the vehicle then only the question of rash & Negligence arises". उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में परिवादी/गवाह पी.डब्ल्यू.–1 रायसाहेब का साक्ष्य अभियोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी/पीड़ित/परिवादी है, किन्तु गवाह के कथनों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि गवाह ने न्यायालय में दौराने साक्ष्य यह स्वीकार किया कि वह ट्रक का नंबर एवं चालक का नाम नहीं जानता। दुर्घटना के बाद वह बेहोश हो गया था, अतः उसने चालक को देखा ही नहीं। यह कथन अभियोजन की उस मूल धारणा को ही खंडित करता है कि अभियुक्त ही दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन चला रहा था। गवाह द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पहचानने से स्पष्ट इंकार किया जाना अभियोजन की पहचान संबंधी कड़ी को पूर्णतः कमजोर कर देता है। इसी प्रकरण गवाह द्वारा यह स्वीकार करना कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है, गवाह द्वारा न्यायालय में दी गयी साक्ष्य की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। साथ ही गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के लेखन से भी आंशिक अस्वीकृति व्यक्त की तथा पुलिस बयान के महत्वपूर्ण भाग स्वयं द्वारा नहीं लिखवाए जाने का कथन किया। उक्त गवाह पक्षद्रोही भी रहा है, जिस कारण उक्त गवाह की साक्ष्य संदेहास्पद हो जाती है। गवाह पी.डब्ल्यू.–2 सुंदर कुमार एवं पी.डब्ल्यू.–3 ओमप्रकाश, जिन्हें अभियोजन ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने भी घटना के संबंध में अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया। दोनों गवाहों ने स्पष्ट कथन किया कि वे दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे, बल्कि दुर्घटना के पश्चात पहुंचे थे। उन्होंने न तो वाहन का नंबर देखा और न ही चालक की पहचान की। इन गवाहों का पक्षद्रोही घोषित होना तथा पुलिस बयानों के महत्वपूर्ण भाग से इंकार करना अभियोजन की कहानी को और अधिक कमजोर करता है। गवाह पी.डब्ल्यू.–4 भादर सिंह ने भी केवल शोर सुनने एवं दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही। उसने स्पष्ट कथन किया कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी, न ही वह यह बता सका कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई। इस प्रकार यह गवाह भी अभियोजन के आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा। वाहन स्वामी गवाह पी.डब्ल्यू.–5 मनोज कुमार की साक्ष्य भी अभियोजन के लिए प्रतिकूल सिद्ध हुई। गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था तथा उसने पुलिस को भी चालक का नाम नहीं बताया। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभियोजन का यह कर्तव्य था कि वह यह

AUTHENTICATED DOCUMENTS

स्थापित करे कि घटना के समय अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ सुभाष ही वाहन चला रहा था। वाहन स्वामी द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त करना अभियोजन के लिए घातक सिद्ध होता है। चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू.–6 डॉ. सुधांशु सहारण द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजात से यह तो सिद्ध होता है कि मृतकों की मृत्यु सिर में लगी चोटों से हुई, किन्तु यह साक्ष्य केवल मृत्यु के कारण को स्थापित करता है, न कि दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या उसकी लापरवाही को। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षी अभियोजन के मुख्य आरोप को सिद्ध करने में सहायक नहीं है। मैकेनिकल मुआयना गवाह पी.डब्ल्यू.–7 मोहम्मद इदरीश के कथन से यह संभावना भी उभरकर सामने आती है कि वाहन के आगे अचानक पशु आने के कारण ब्रेक लगाने से कार असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। यह कथन अभियोजन की उस धारणा के विपरीत है कि दुर्घटना केवल ट्रक चालक की लापरवाही से हुई। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य वैकल्पिक संभावना को जन्म देती है, जिससे अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–8 अनूप सिंह के कथनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि तहरीरी रिपोर्ट में चालक का नाम अंकित नहीं था। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि घटनास्थल निरीक्षण के समय वाहन वहां उपस्थित नहीं थे। यह अनुसंधान की गंभीर त्रुटि को दर्शाता है, जिससे अभियोजन की जांच की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के किसी भी गवाह ने यह सुस्पष्ट एवं विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं किया कि अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ सुभाष ही दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को चला रहा था अथवा उसने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया। न तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय है, न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त है। गवाहों का पक्षद्रोही होना, महत्वपूर्ण तथ्यों से इंकार करना, चालक की पहचान न होना, वाहन का नंबर ज्ञात न होना, तथा राजीनामा होना, ये सभी तथ्य अभियोजन के कथानक को संदेहास्पद बनाते हैं। दण्ड प्रक्रिया के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। यदि साक्ष्य में ऐसे गंभीर विरोधाभास, असंगतियां एवं त्रुटियां हों, जो अभियोजन के मूल आधार को ही कमजोर कर दें, तो अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना अनिवार्य हो जाता है। प्रकरण में परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन की चालक की पहचान व वाहन के नंबर के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। प्रकरण में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा अभियुक्त से राजीनामा होने के तथ्य भी दौराने साक्ष्य जाहिर किए गए हैं। उक्त विवेचन के आधार पर

AUTHENTICATED DOCUMENTS

न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.02.2019 को समय करीब 08.00–08.30 ए.एम. मौजा ढाढर गांव के टोल प्लाजा से चूरू की तरफ निकलते ही लोकमार्ग पर ट्रक नं. एचआर 65 ए 3344 का चालक होते हुए उक्त वाहन को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर परिवादी की कार नं. एचआर 20 क्यू 9551 के टक्कर मारी, जिससे कार में बैठे परिवादी रायसाहेब के साधारण उपहतियां व परिवादी के पिता भूप सिंह व परिवादी के भाई कृष्ण कुमार की गंभीर चोटें लगने से मौके पर ही मानव वध की कोटि में न आने वाली मृत्यु कारित करते हुए मौके से ट्रक को लेकर फरार हो गया। अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ सुभाष को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 व 134/187 मोटरयान अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायासंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

19. अतः अभियुक्त **प्रेम कुमार उर्फ सुभाष पुत्र रामस्वरूप उम्र 35 साल निवासी सात्यु पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 व 134/187 मोटरयान अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त 10,000/– रूपए का मुचलका और इसी राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद पेश करे, जो कि निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि तक प्रवृत रहेंगे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व में सुपुर्दगी पर है, जो कि सुपुर्दगीदार के पास बना रहे, सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझे जावें।

(**पिंकी मीना**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू

21. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**पिंकी मीना**)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू

AUTHENTICATED DOCUMENTS

MOHIT MAHARSHI

Authenticated Documents
Digitally signed by MOHIT MAHARSHI
Date: 2026.03.25 14:34:41 +0530